कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई
जोन क्र– 02 वैशाली नगर

क्र./लो.क.वि./जोन.क्र.–02/2023/1070   भिलाई, दिनांक 20/3/23

//रुचि की अभिव्यक्ति (द्वितीय बार)//

रूचि की अभिव्यक्ति के तहत नगर पालिक निगम भिलाई के जोन–02 वैशाली नगर अंतर्गत **ट्यूबलर पोल/सुलभ शौचालय एवं उच्चस्तरीय पानी टंकी में फ्लैक्स लगाने का कार्य** हेतु अधिक ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाये /ए.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से 01 वर्ष हेतु रुचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना आमंत्रित की जाती है।

आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 5000.00 (प्रत्येक वार्ड ट्यूबलर पोल के लिये अलग–अलग), रू. 2000.00 (प्रत्येक शौचालय के लिए अलग–अलग) एवं रू. 5000.00 (प्रत्येक उच्चस्तरीय पानी टंकी के लिये अलग–अलग) का एफ.डी.आर. (किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक) जोन आयुक्त जोन–02 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा।

प्राप्त ऑफर दिनांक **05.04.2023** को 5:30 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय ऑफर आमन्त्रित कर दिनांक **06.04.2023** को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। नियम एवं शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। (नियम शर्तें. निगम के वेबसाइट www. bhilainagarnigam.com में देखी जा सकती है।)

जोन आयुक्त
(जोन–02)
नगर पालिक निगम,
भिलाई

(3)

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन–02 वैशाली नगर अनुविभाग

नगर पालिक निगम जोन–02 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न **सुलभ शौचालय** स्थापित है, जिसमें साईन बोर्ड, फ्लैक्स एवं विज्ञापन कार्य हेतु अधिक ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाये/एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित अंतर्गत नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है।

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 2000.00 का एफ.डी.आर. (प्रत्येक शौचालय के लिये अलग–अलग) जोन आयुक्त जोन–02 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित सुलभ शौचालयों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।
3. विज्ञापन की दरे प्रतिवर्ग फीट 3 रूपये प्रतिदिन रहेगी।
4. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसमी सम्पूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।
5. उल्लेखित सुलभ शौचालयों का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।
6. सुलभ शौचालयों में किसी तरह के नये कार्य, सौन्दर्यीकरण कार्य करने के पूर्व निगम से योजना प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
7. सुलभ शौचालयों की परिसीमा में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
8. सुलभ शौचालयों में विद्युत व्यय का वहन ऑफर दाता द्वारा किया जावेगा।
9. ऑफरदाता को ग्लो साईन बोर्ड लगाये जाने पर विद्युत का खर्च वहन करना होगा।
10. ऑफरदाता को उपलब्ध शौचालय में अधिकतम 03 नग (सुलभ शौचालय के मुख्य द्वार में 7 X 5 के 02 फ्लैक्स एवं छत के उपर सामने की ओर 10 X 3 के 01 फ्लैक्स) हेतु वार्षिक रूप से अधिकतम ऑफर मान्य होगा।
11. संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।
12. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्ते संबंधित को मान्य होगा।
13. उक्त सुलभ शौचालयों में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नही करेगा।
14. सुलभ शौचालयों पूर्णतः सार्वजनिक होगा जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा।
15. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना,जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी।
16. सुलभ शौचालयों में किसी भी प्रकार की असमाजिक गतिविधि तथा कोई नशा इत्यादि वर्जित होगा एवं उपरोक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की स्थिति में आफरदाता की जिम्मेदारी होगी।
17. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

EE   S/E   (AE)

जोन आयुक्त
जोन–02
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन–02 वैशाली नगर अनुविभाग

(4)

नगर पालिक निगम जोन–02 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न **ट्यूबलर पोल** स्थापित है जिसमें फ्लैक्स लगाने हेतु अधिक ऑफर पर इच्छुक संस्थाये/एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित अंतर्गत नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है।

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 5000.00 (प्रत्येक वार्ड के लिये अलग–अलग) का एफ.डी.आर. जोन आयुक्त जोन–02 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित ट्यूबलर पोलों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।
3. फ्लैक्स का आकार (3X2) लम्बाई 3 एवं चौड़ाई 2 का होना चाहिये। प्रतिदिन प्रति फ्लैक्स के लिये 02 रूपये शुल्क मान्य होगा।
4. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।
5. उल्लेखित ट्यूबलर पोल का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।
6. ट्यूबलर पोल में किसी तरह के नये कार्य करने के पूर्व निगम से योजना प्रस्तुत कर पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
7. ट्यूबलर पोल में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
8. ट्यूबलर पोल के संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।
9. ट्यूबलर पोल के फ्लैक्स के संबंधी कार्यो में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति की जिम्मेदारी समाज की होगी एवं दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
10. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्ते समाज को सर्वमान्य होगा।
11. ट्यूबलर पोल में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नही करेगा।
12. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी।
13. ट्यूबलर पोल में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि तथा कोई नशा इत्यादि फ्लैक्स लगाया जाना वर्जित होगा।
14. आफरदाता को कुल उपलब्ध पोल की संख्या 11537 नग में प्रति पोल में 02 फ्लैक्स के मान से अधिकतम ऑफर वार्षिक रूप से देना होगा।
15. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

Engg.   S/E   (AE)

जोन आयुक्त
जोन–02
नगर पालिक निगम,
भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन–02 वैशाली नगर अनुविभाग

नगर पालिक निगम जोन–02 क्षेत्रांतर्गत स्थित विभिन्न **उच्चस्तरीय पानी टंकी** स्थापित है, जिसमें साईन बोर्ड, फ्लैक्स एवं विज्ञापन लगाये जाने हेतु अधिक ऑफर के आधार पर इच्छुक संस्थाये/एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन से रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रित अंतर्गत नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है।

1. आफरदाता को चार लिफाफा पद्धति में प्रस्ताव देना होगा, लिफाफा 'अ' में निर्धारित अमानत राशि रू. 5000.00 का एफ.डी.आर. (प्रत्येक टंकी के लिये अलग–अलग) जोन आयुक्त जोन–02 नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना एवं लिफाफा 'ब' में एन.जी.ओ., समूह व एजेंसी का रजिस्ट्रेशन, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, स्वयं हस्ताक्षर का होंना अनिवार्य एवं लिफाफा 'स' में 01 वर्ष के लिए अनुमानित राशि व लिफाफा 'द' में भरकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित उच्चस्तरीय पानी टंकी का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।
3. विज्ञापन की दरे प्रतिवर्ग फीट 3 रूपये प्रतिदिन रहेगी।
4. आफरदाता को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनाम न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा ऑफर निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आफरदाता की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।
5. उल्लेखित उच्चस्तरीय पानी टंकी का संपूर्ण स्वामित्व नगर पालिक निगम भिलाई का होगा।
6. उच्चस्तरीय पानी टंकी की परिसीमा में कोई परिवर्तन नही किया जा सकेगा।
7. संधारण कार्य पर हुये व्यय आदि की मांग किये जाने पर मान्य नहीं होगा।
8. उच्चस्तरीय पानी टंकी के रख–रखाव संबंधी कार्यो में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति की जिम्मेदारी समाज की होगी एवं दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
9. उल्लेखित कार्य में नगर पालिक निगम भिलाई का दिशा निर्देश, नियम एवं शर्ते समाज को सर्वमान्य होगा।
10. ऑफरदाता को ग्लो साईन बोर्ड लगायें जाने पर विद्युत का खर्च स्वयं वहन करना होगा।
11. ऑफरदाता को उपलब्ध उच्चस्तरीय पानी टंकी में फलेक्स/विज्ञापन हेतु वार्षिक रूप से अधिकतम ऑफर मान्य होगा।
12. ऑफरदाता उच्चस्तरीय पानी टंकी के क्षमता अनुसार फ्लेक्स/विज्ञापन पर अधिकतम ऑफर मान्य होगा।
13. उक्त उच्चस्तरीय पानी टंकी में आफरदाता कोई स्थायी निर्माण नही करेगा।
14. कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, जनधन की हानि की जिम्मेदारी स्वयं ऑफर दाता की होगी।
15. उच्चस्तरीय पानी टंकी में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि तथा कोई नशा इत्यादि वर्जित होगा एवं उपरोक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की स्थिति में आफरदाता की जिम्मेदारी होगी।
16. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

जोन आयुक्त
जोन–02
नगर पालिक निगम,
भिलाई